अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत- जिल्हा व सत्र न्यायालय,बीड दि.०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी ...

## महाराष्ट्र शासन

विधि व न्याय विभाग,

शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी-२०२४/प्र.क्र.५४/कार्या-१२

पाचवा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०२४.

## वाचा -

- (१) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-१००२/१२८९(१६२) नऊ/चार दिनांक ०८.०९.२००३
- (२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक पदनि- २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०६.०९.२०२४.
- (३) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अस्थायी-२०२४/प्र.क्र.५४/कार्या-१२, दिनांक १८.०३.२०२४.
- (४) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, बीड यांचे O.No./५४५०/२०२४, दिनांक २३.०८.२०२४.

## शासन निर्णय:-

संदर्भाधीन दिनांक १८.०३.२०२४रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय, बीड यांच्या आस्थापनेवरील १३२ अस्थायी पदांना दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.शासन पत्र क्र. पदिन २०२१/प्र.क्र.११२/का-१२, दि.१५.०५.२०२४ अन्वये कळविल्यानुसार जिल्हा व सत्र न्यायालय,बीड यांनी दि.२७.०८.२०२४ रोजीच्या कार्यालयीन आदेशान्वये ४ पदे पुनरुज्जीवीत केलेली आहे. संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद केल्यानुसार (१३२+४) १३६ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते २८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

| अ.क्र | पदनाम               | दिनांक ३१.०८.२०२४ | दिवाणी न्यायालय, क.स्तर धारुर | दिनांक ०१.०९.२०२४ ते      |
|-------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
|       |                     | पर्यंत मुदतवाढ    | या न्यायालयासाठी शासनाच्या    | २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ |
|       |                     | दिलेली पदे        | दि. १५.०५.२०२४ रोजीच्या       | द्यावयाची पदे             |
|       |                     |                   | पत्रान्वये कळविल्यानुसार      |                           |
|       |                     |                   | पुनुरुज्जीवित करण्यात आलेली   |                           |
|       |                     |                   | पदे                           |                           |
| 9     | २                   | 3                 | 8                             | Ч                         |
| 9     | अधिक्षक             | 3                 |                               | 3                         |
| २     | सहायक अधिक्षक       | (9                |                               | (9                        |
| 3     | लघुलेखक             | 3                 |                               | 3                         |
|       | उच्चश्रेणी/ग्रेड -१ |                   |                               |                           |
| 8     | लघुलेखक ग्रेड - ३   | 9८                |                               | 9८                        |
| ч     | वरिष्ठ लिपिक        | 94                |                               | १५                        |

| દ્દ | कनिष्ठ लिपिक      | 88  | 2 | ४६  |
|-----|-------------------|-----|---|-----|
| 9   | टंकलेखक           | 9   |   | ٩   |
| 9   | मुख्य बेलिफ       | 2   |   | २   |
| ۷   | बेलिफ             | १६  |   | 9६  |
| 9   | वाहन चालक         | 9   |   | ٩   |
| 90  | उदकी              | ?   |   | ?   |
| 99  | सफाईगार           | 3   |   | 3   |
| 92  | पहारेकरी          | 3   |   | 3   |
| 93  | झेरॉक्स मशिन चालक | 9   |   | 9   |
| 98  | पुस्तक बांधणीकार  | 9   |   | ٩   |
| 94  | शिपाई             | 97  | 2 | 98  |
| १६  | हवालदार           | 9   |   | ٩   |
|     | एकूण              | 932 |   | 93६ |

- २. विधि व न्याय विभाग कार्यासन-९ यांचेकडून निर्माण करण्यात आलेल्या पदांना मुदतवाढ घेण्याबाबतचा प्रस्ताव कार्यासन-९ यांचेकडे स्वतंत्रपणे सादर करण्यात यावा.
- २. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, "१०५ (तीन) दिवाणी न्यायाधिश" व "१०८ फौजदारी न्यायालये" यापैकी योग्य त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखालील सन २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.
- ४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पिहला, उपविभाग-तीन मधील अ.क्र. ४ चा पिरच्छेद क्र. २७ (२) मधील 'क' येथील वित्तीय शक्तीनुसार तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय कमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क्र., दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१५२७३९२८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

( सुनिल आखरे ) कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

## प्रत:-

- १. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई
- २. प्रबंधक, निरीक्षणे-१, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई

- ३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद .
- ४. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- एक, महाराष्ट्र मुंबई
- ५. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा)-एक, महाराष्ट्र मुंबई
- ६. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर
- ७. महालेखापाल -(लेखापरीक्षा)- दोन, महाराष्ट्र नागपूर
- ८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद
- ९. वित्त विभाग/आ.पु.क., व्यय-५,( अर्थसंकल्प-११) मंत्रालय, मुंबई.
- १०. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, बीड
- ११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड
- १२. उप कोषागार अधिकारी, बीड
- १३. विधि व न्याय विभाग, कार्यासन ११, २३ व २४.
- १४. निवड नस्ती.